न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
10/2023/प्रा.पत्र/2023	01.02.2023	20.09.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल निवासी पटेल नगर देवली जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार ममता सर्किल देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304804 मोबाईल नं. 9829232140
2–मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार ममता सर्किल देवली जिला टोंक राज0। पिनकोड–304804
3–श्री रमेश चन्द गर्ग पुत्र गोपाल प्रसाद गर्ग निवासी 159 पंजाबी मोहल्ल वार्ड नं. 10 कुम्हेर जिला भरतपुर राज. प्रोपरायटर मैसर्स गोपाल जी एन्टरप्राईजेज बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चांदपोल बाजार जयपुर राज.। पिनकोड–302001
4–मैसर्स गोपाल जी एन्टरप्राईजेज बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चांदपोल बाजार जयपुर राज.। पिनकोड–302001

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री अशोक कासलीवाल उपस्थित।

:–निर्णय–: दिनांक 20.09.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनाक 14.09.2022 को समय 04:00 पी.एम. पर मैसर्स टीकम चन्द नरेन्द्र कुमार ममता सर्किल देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कराबोर करते हुए उपस्थित मिला, श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु गुड, तेल, घी, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों के साथ 50 मूल बोतल पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 एम.एल. पैक **सरसों तेल (सेठजी ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल को गवाह के सामने फार्म नं0 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री नरेन्द्र सिंहल एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया तथा दुकान में रखे 500–500 एम.एल. के 50 पैक में से 4 मूल पैक **सरसों तेल (सेठजी ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर 02 एवं पैकिंग की दिनांक 04.04.2022 थी, वास्ते नमूना जांच मूल अवस्था में खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **सरसों तेल (सेठजी ब्राण्ड)** के 500–500 एम.एल. के 4 मूल पैक के ज्यों का त्यों अलग–अलग बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3270 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3270 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री नरेन्द्र सिंहल पुत्र श्री टीकम चन्द सिंहल ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गोपाल जी एन्टरप्राईजेज बाबा हरिश्चन्द्र मार्ग चांदपोल बाजार जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3556 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राज0 जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल0एस0/2769/एक्ट/2022/2810 दिनांक 28.09.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सरसों तेल (सेठजी ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम व विनियम 2011 की धारा 3(i)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री अशोक कासलीवाल उपस्थित हुए। अभिभाषक ने जवाब पेश किया एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया हैं। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सरसों तेल (सेठजी ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उपधारा (ii) के अन्तर्गत अपराध एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **सरसों तेल (सेठजी ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/– (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 20.09.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक